संख्या:36/2020/1086जेएल/22-3-2020-100(34)/2016

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 26 जून, 2020*

विषय: जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अंगद यादव पुत्र श्री रामबदन यादव को प्रशासनिक आधार पर अन्यत्र कारागार में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-57/2016/669जेएल/22-3-16-100(17)/2015टी0सी0, दिनांक 19-02-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अंगद यादव पुत्र श्री रामबदन यादव को प्रशासनिक आधार पर जिला कारागार सीतापुर में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-14303/सामा-1(3)/आजमगढ़/2020, दिनांक 09-06-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-57/2016/669जेएल/22-3-16-100(17)/2015टी0सी0, दिनांक 19-02-2016 में संशोधन करते हुए उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार आजमगढ़ में निरूद्ध विचाराधीन बंदी अंगद यादव पुत्र श्री रामबदन यादव को प्रशासनिक आधार पर केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:36/2020/1086जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, आजमगढ़/प्रयागराज।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़/प्रयागराज।
5. अधीक्षक, जिला कारागार आजमगढ़।
6. वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार नैनी, प्रयागराज।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in